

प्रारूप-2
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
आदेश सं०/वै०सहा०/मान्यता/ENUPPS-598/19/2019-20 दिनांक: 31.05.2019

सेवा में,

प्रबंधक,

सेन्ट एन्थोनीज स्कूल, (St. Anthony's School) (अंग्रेजी माध्यम)

बूजपुर मान विकास क्षेत्र, मूँछापाण्डे-मुरादाबाद।

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय
के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2018 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तपक्षी
पत्राचार/निरीक्षण के संदर्भ में सेन्ट एन्थोनीज स्कूल, बूजपुर मान विकास क्षेत्र, मूँछापाण्डे-मुरादाबाद को कक्षा नर्सरी से
कक्षा 08 तक हेतु दिनांक 31.05.2019 से दिनांक 29.05.2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धित मान्यता का
प्रदान किया जाना सम्बंधित करता है।

- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पासा-पड़ोस के कमजोर वर्ग और सधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।
- प्रस्तर-तीन में सम्बंधित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय प्रवेश से संबंधित नहीं करेगा-
(क) बालक का आयु-प्रमाण पत्र न होने पर,
(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र वितरित किया जायेगा,
(पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशक्ताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्बहन,
(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
(सात) अध्यापक व्यक्तिगत अध्यापन क्रियाकलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यधर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाए रखेगा,
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुक्तिभाएँ निम्नानुसार है-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 8457.24 वर्गमीटर

Rab
Manager
St. Anthony's School
Bhojpur Man Development Area, Muradabad

True copy

A. K. Singh
Principal
St. Anthony's School
Bhojpur Man Development Area, Muradabad

कुल निर्मित क्षेत्र	: 7666 वर्गमीटर
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल	: पर्याप्त
कक्षाओं की संख्या	: 12
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डारगार के लिए कक्ष	: 04
बालक, और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय	: 02
पेयजल सुविधा	: उपलब्ध
मिड डे मील पकाने के लिए रसोईघर	: उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	: जी हाँ
अध्यापन पठन-पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद/उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	: जी हाँ

- विद्यालय परिसर के अन्दर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
- विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत संगिति या तदसमय प्रचलित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
- विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगत या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
- लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद को प्रेषित की जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या E.NUP5-598/19 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्या को उद्धृत करने का कष्ट करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाय और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- समिति के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- विद्यालय प्रबंधन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।
कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो संक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का बाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार)

जिला, बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0/वै0संहा0/मान्यता/

/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।



True copy

